

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी श्रीमती इमकु

बनाम

श्रीमती लक्ष्मी वगैरह

किरम मुकदमा : 212 R.T.Act

पत्रावली संख्या : 83/20 (प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जो जारी की गईं।
	<p>दिनांक : 14.12.2020</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री चन्द्रपुरी गोस्वामी द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवम दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में विपक्षी सं. 1 से 6 के विरुद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा जुनावास पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 3329, 3331 किता 2 रकबा 7 बिस्वा, आ.न. 3477, 3485, 3493, 3494 किता 4 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, आ.न. 3476, 3478, 3486, 3492, 3495, 3496, 3498, 3499 किता 8 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, 3327, 3328 किता 2 रकबा 1 बीघा, 3941 रकबा 6 बिस्वा, 4630/3941 रकबा 6 बिस्वा, 3945, 3947, 3950, 4651/3946 किता 4 रकबा 13 बिस्वा, 3940 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 4647/3944, 4648/3945, 4649/3946, 4650/3950 किता 4 रकबा 14 बिस्वा, 3943, 3944, 3946 किता 3 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 4658/3943, 4659/3944, 4660/3945 किता 3 रकबा 13 बिस्वा 4628/3941 रकबा 6 बिस्वा, 4629/3941 रकबा 6 बिस्वा, 4626/3940, 4627/3941 किता 2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 से 6 आगामी पेशी पर जवाब पेश करने/आगामी आदेश तक वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।</p> <p>विपक्षी सं. 1 से 6 को हुकम ईमतनाई आराजी मजरिया एवं विपक्षी सं. 7 से 9 को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी विपक्षीगण दिनांक 04.01.2021 को पेश हो।</p>	

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली



5/1/21

पत्रावली पेश हुई अतिवक्ता 31/1/21
दिनांक 19. 6 की ताल में अतिवक्ता 31/1/21 का
रूप) पत्रावली का नम्बर आता शेष 1 नोटा
बोतलर (1) पत्रावली दिनांक 8/3/21

पत्रावली 8/3/21
आज दिनांक 8/3/21 को पत्रावली का नम्बर
ने हाथ में ले लिया
अतः पत्रावली का नम्बर दिनांक
8/3/21

09/3/21

पत्रावली बाह्र दोपहर मूल वाद के साथ तलब
की गई। मूल वाद में पक्षकारों के मध्य आपसी
राजीनामा हो जाने से मूल वाद आपसी राजीनामा
अनुसार उठि किया जा चुका है। अतः मूल
वाद उठि हो जाने से 11 में कोई कार्यवाही
शेष नहीं रहती है। अतः पत्रावली इसी स्तर
पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली केसल सुमार
होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर
धुनाया गया।



[Signature]
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

[Vertical text and stamps on the right margin, including a purple stamp and a signature]